<u>न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०–I,</u>
<u>(महिला उत्पीड़न से सम्बन्धित वाद), बहराइच।</u>
जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या– 1168/12A/2026
UPBH010033252026

उदयराज, उम्र लगभग 46 वर्ष, पुत्र छोटे, निवासी– ग्राम चुनहा, दा० राजारेहुआ, थाना बौण्डी, जनपद बहराइच।

------ प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उ०प्र० सरकार द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी), बहराइच।

---------अभियोगी।

मुकदमा अपराध संख्या 31/2026,
धारा 80(2), 85, 103(1) भा०न्या०सं०
व धारा 3/4 डी०पी० एक्ट,
थाना बौण्डी, जनपद बहराइच।

<u>दिनाँक–04.06.2026</u>

1– यह जमानत प्रार्थना–पत्र प्रार्थी/अभियुक्त उदयराज की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 31/2026, अन्तर्गत धारा 80(2), 85, 103(1) भा०न्या०सं० व धारा 3/4 डी०पी० एक्ट, थाना बौण्डी, जनपद बहराइच के मामले में प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि इस न्यायालय के समक्ष यह प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र है। अन्य कोई जमानत प्रार्थना–पत्र माननीय उच्च न्यायालय अथवा अन्य किसी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त जिला कारागार बहराइच में निरुद्ध है।

2– अभियोजन कथानक के अनुसार संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 01.03.2025 को वादी मुकदमा की बेटी लक्ष्मी उम्र करीब 20 वर्ष का विवाह मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत विपक्षी रक्षाराम पुत्र उदयराज, निवासी– ग्राम चुनहा, दा० राजारेहुआ, थाना बौण्डी, जनपद बहराइच के साथ हुआ था। विवाह बाद मेरी बेटी विदा होकर अपने ससुराल गयी तो मेरी बेटी को उसका पति रक्षाराम और ससुर उदयराज पुत्र छोटे एक लाख रुपये की नगदी और मोटरसाइकिल को दहेज के रूप में मांगकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिये। मेरी बेटी ने किसी तरह गुजर–बसर करना शुरू किया जबकि मैंने भी विपक्षीगणों से बेटी को न प्रताड़ित करने के लिये कई बार मान–मनौव्वल किया, परन्तु विपक्षी उपरोक्त मेरी बेटी लक्ष्मी को प्रताड़ित करते रहे और दहेज खातिर दिनांक 15/16.02.2026 की रात को विपक्षी रक्षाराम व उदयराज ने मेरी बेटी लक्ष्मी की गला दबाकर हत्या कर दी। दिनांक 16.02.2026 की सुबह करीब 8 मुझे बेटी की मौत की जानकारी हुयी। पुलिस ने शव का पंचायतनामा व

पोस्टमार्टम कराया। अन्तिम संस्कार, क्रिया कर्म आदि के बाद आज थाने पर तहरीर लेकर आया हूं।

3– प्रार्थी/अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना–पत्र में यह आधार लिया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त ने अपने पुत्र रक्षाराम का विवाह दिनांक 01.03.2025 को वादी मुकदमा की पुत्री लक्ष्मी के साथ मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत कराया था। विवाह के पश्चात वर्ष 2025 में ही प्रार्थी/अभियुक्त ने अपने पुत्र व बहू को अलग मकान दे दिया था। प्रार्थी/अभियुक्त का अपने पुत्र व बहू के निजी जीवन में कोई हस्तक्षेप नहीं था और न ही उनके साथ उनके उक्त मकान में रहता है। प्रार्थी/अभियुक्त को दिनांक 16.02.2026 की सुबह समय करीब साढे सात बजे प्रार्थी/अभियुक्त के पुत्र रक्षाराम द्वारा यह सूचना दी गयी कि उसकी पत्नी लक्ष्मी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। प्रार्थी/अभियुक्त अपने पुत्र के मकान पर पहुंचा तो देखा कि लक्ष्मी मृत अवस्था में घर के बरामदे में पड़ी हुयी है। प्रार्थी ने अपने समधी/वादी मुकदमा को सूचना दी। वादी मुकदमा अपने अन्य कई रिश्तेदारों के साथ मौके पर पहुंचे और पुलिस भी मौके पर पहुंची। दिनांक 18.02.2026 को वादी मुकदमा द्वारा घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कराकर गलत व झूठे तथ्यों के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त को मुकदमा उपरोक्त में वांछित कर दिया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त का उपरोक्त प्रश्नगत घटना में कोई भूमिका नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त प्रश्नगत घटना के समय घटना स्थल पर मौजूद नहीं था। प्रार्थी/अभियुक्त ने किसी भी प्रकार का कोई भी संज्ञेय या असंज्ञेय अपराध नहीं किया है। प्रार्थी/अभियुक्त पूर्णता निर्दोष है। वादी मुकदमा द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त पर एक लाख रुपया नगद व एक मोटरसाइकिल दहेज के रूप में मांगने व गला दबाकर पुत्री की हत्या कर देने का लगाया गया आरोप कतई गलत व झूठा है। प्रार्थी/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त की जमानत स्वीकार की जाये।

4– राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत का विरोध किया गया और कहा गया है कि अभियुक्त पीड़िता का ससुर है। अभियुक्त व उसके पुत्र (मृतका के पति) द्वारा पीड़िता को अतिरिक्त दहेज की माँग को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर उसकी हत्या कर दी। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अतः उसकी जमानत स्वीकार न की जाये।

5– उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया गया।

6– अभियोजन द्वारा केस डायरी के साथ प्रस्तुत पंचायतनामा के अनुसार मृतका की मृत्यु दिनांक 16.02.2026 होना एवं मृत्यु का कारण फांसी लगाने से मृत्यु होना उल्लेखित है। पत्रावली में संलग्न पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतका को कुल सात चोटें आना अंकित है, जिनमें गर्दन पर रस्सी/फंदे का निशान, बायें माथे पर चोट, दायें कलाई के सामने की ओर खरोंच, दायें गाल पर चोट, ठुड्डी के दाहिने भाग पर चोट, निचले होंठ के दाहिने भाग पर चोट, दोनों स्तनों के बीच कई छोटी–छोटी चोटें उल्लेखित हैं। मृतका की मृत्यु एंटीमार्टम स्ट्रैंगुलेशन से होना उल्लेखित किया गया है। प्रथमसूचक द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि शादी के बाद अभियुक्त एवं उसके पुत्र (मृतका के पति) की तरफ से अतिरिक्त दहेज के रूप में एक लाख रूपये व मोटरसाइकिल की मांग की जाती थी एवं जिसे पूरा न कर पाने के कारण मृतका की मृत्यु कारित की गयी है।

7– अतः मामले के तथ्यों, परिस्थितियों व उभयपक्ष के अधिवक्ताओं द्वारा की

गयी बहस, अपराध की प्रकृति, पत्रावली में संकलित साक्ष्य, अपराध के विषय में अभियुक्त की भूमिका व अपराध की गम्भीरता पर विचार करते हुए प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने का कोई न्यायोचित आधार प्रतीत नहीं होता है। तद्नुसार प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त उदयराज की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 31/2026, अन्तर्गत धारा 80(2), 85, 103(1) भा०न्या०सं० व धारा 3/4 डी०पी० एक्ट, थाना बौण्डी, जनपद बहराइच के मामले में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

(**अनिल कुमार–XII**)
प्रभारी अपर सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०–I,
(महिला उत्पीड़न से सम्बन्धित वाद), बहराइच।

दिनांकः04.06.2026